भाग - दो

अध्यक्ष महोदय,

1. 2001–2002 की तुलना में इस वर्ष हमारी राजस्व आय वर्ष अंत तक 26.58 प्रतिशत बढ़ना संभावित है । इसका मुख्य कारण करों का बेहतर प्रबंधन रहा है।

2. कुछ देर पहले मैंने उल्लेख किया था कि दिनांक 1–4–2003 से वैट कर प्रणाली लागू की जा रही है । राष्ट्रीय सहमति निर्माण करने में प्रारम्भ से मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वैट लागू करने हेतु मध्यप्रदेश वैट विधेयक 2002 पारित किया । राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् इस विधेयक को अधिनियम के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।

3. वैट के तहत आम उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं के ऊपर अगले वर्ष से कर की दर कम होगी ।

उदाहरणार्थ, –

(1) आम उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की वस्तुऐं जैसे कागज, चाय, काफी, स्किम्ड दूध पावडर, गद्दे छोड़कर कॉयर तथा कॉयर प्रोडक्ट, 100 रूपये से अधिक कीमत के प्लास्टिक फुटवियर, छपाई की स्याही, संसूचना उपकरण जैसे पी.बी.एक्स. तथा ई.पी.ए.बी.एक्स, सिलाई मशीन, जड़ी–बूटी जैसे – छाल, सूखी वनस्पति, सूखी जड़ आदि पर वाणिज्यिक कर की प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से घटकर 4

प्रतिशत रह जायेगी । वहीं टेलीप्रिंटर, वायरलेस आदि पर वाणिज्यिक कर की प्रभावी दर 13.8 प्रतिशत से कम होकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । दर कम होने से इन वस्तुओं का मूल्य कम होगा और उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे ।

(2) किसानों के उपयोग में आने वाले उपकरण जैसे 3 हार्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले सबमर्सिबल पंपिंग सेट्स तथा उनके पार्टस् तथा हारवेस्टर पर कर की प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से कम होकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । किसान, इन दरों की कमी से सीधे लाभान्वित होंगे।

(3) भवन निर्माण में काम में आने वाली सामान्य उपयोग की वस्तुऐं जैसे ईट, बांस, नेपा स्लेब, हेण्डपंप, डामर आदि पर कर की वर्तमान प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से घटकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । इससे मकान निर्माण की लागत में कमी आयेगी एवं आम लोगों को राहत मिलेगी ।

(4) औद्योगिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे - कुठाली (क्रूसीब), पल्प, इलेक्ट्रॉडस, फाईबर (काटन फाईबर तथा विस्कॉस फाईबर को छोड़कर) इण्डस्ट्रियल केबल, आदि पर कर की प्रभावी दर 9.2 प्रतिशत से घटकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । वहीं ट्रांसमीशन टॉवर तथा ओर एवं मिनरल्स पर कर की प्रभावी दर 13.8 प्रतिशत से कम होकर केवल 4 प्रतिशत रह जायेगी । दरों के इस परिवर्तन से औद्योगिक कच्चेमाल की लागत में कमी आयेगी और उपभोक्ताओं को निर्मित माल कम मूल्य पर मिलेगा ।

4. वैट के लागू करने के साथ-साथ हमने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में वाणिज्यिक कर पर जो सरचार्ज देय होता है, उसे समाप्त किया जाये । इस सरचार्ज की राशि से नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को राशि उपलब्ध कराई जाती है । परंतु हम इन संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में कोई कमी नहीं आने देंगे । इस हेतु प्रस्तावित है कि वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल पर वाणिज्य कर एवं सरचार्ज मिलाकर जो टैक्स का प्रभावी दर बनता है, उसे नई व्यवस्था में कायम रखा जावे । इसके लिए वैट अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जायेगा । इससे पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

5. इस महत्वपूर्ण मुद्दे का हमने गहन परीक्षण किया कि क्या वैट लागू करने एवं सरचार्ज खत्म करने से राज्य की आय में कमी आवेगी । वित्तीय विशेषज्ञों का मत है कि वैट प्रारंम्भ होने पर कर का आधार विस्तृत होगा तथा टैक्स की राशि में वृद्धि होगी । व्यवस्था जमने तक पहले के कुछ वर्षो में शासन को कुछ नुकसान संभावित है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को आश्वासन दिया है कि पहले वर्ष में हानि का शत-प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार राज्यों को भरपाई करेगी । अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की वस्तुएं जैसे शक्कर, तम्बाकू एवं कपड़े पर राज्यों को टैक्स लगाने की अनुमति भारत सरकार देगी । केन्द्र इस बात के लिए भी सहमत है कि कुछ विशिष्ट सेवाओं का कर राज्यों को वसूल कर अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी । इस हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही केन्द्र शासन करेगा ।

6. अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि टेलीफोन के किराये को, उपयोग करने के अधिकार का अंतरण मानते हुए उसपर वाणिज्यिक कर लगाया जा सकता है । अब प्रदेश में भी इस निर्णय का क्रियान्वयन किया जायेगा । अनुमान है कि इससे लगभग 40 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

7. केबल टी.वी. तथा वीडियो पार्लरों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे सिनेमाघरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है । यह आवश्यक है कि आम जनता के मनोरंजन के साधन कम कीमत पर उपलब्ध हो । अत: प्रस्तावित है कि मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन एक्ट 1936 के अंतर्गत राज्य शासन को यह अधिकार दिया जाए कि वह मनोरंजन शुल्क की दर औचित्यपूर्ण स्तर तक कम कर सकें । अप्रैल 2003 से नगर निगम के कार्य क्षेत्र में स्थित सिनेमाघरों के लिए यह प्रस्तावित है कि मनोरंजन शुल्क की दर 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत की जाए । नगरपालिका, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए यह दर 40 प्रतिशत की जाएगी । मनोरंजन कर में कमी करने से हमारा विश्वास है कि कर के अनुपालन में सुधार आएगा ।

8. हमारे देश में निजी व्यक्तियों द्वारा धारित सम्पत्ति में महिलाओं का हिस्सा अत्यन्त कम है । अधिकांश सम्पति पुरूष के नाम से होती है । इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई सम्पति पुरूष के नाम धारित हो और वह इस संपत्ति में अपनी पत्नि या पुत्री को हिस्सेदार बनाना चाहता हो तो ऐसे अन्तरण का पंजीयन एक प्रतिशत मात्र के स्टाम्प शुल्क पर किया जा सकेगा ।

9. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह भी प्रस्तावित है कि जहां हस्तांतरित की जाने वाली सम्पत्ति का 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंश किसी महिला को हस्तांतरित किया जा रहा हो, वहां ऐसे दस्तावेजों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क की दर सामान्य से एक प्रतिशत कम होगी ।

10. सरलीकरण की दृष्टि से वृत्तिकर अधिनियम के अधीन संक्षिप्त कर निर्धारण की व्यवस्था प्रावधानित की जा रही है । नई व्यवस्था के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों/नियोजकों का कर निर्धारण होगा, जिनके द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया हो या कर जमा नहीं कराया गया है । वृत्तिकर का संग्रहण निजी एजेन्सियों के माध्यम से किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । इस व्यवस्था से लगभग 20 करोड़ रूपये वार्षिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है ।

11. अध्यक्ष महोदय, देश के कुछ भागों में लागू व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तावित है कि मालवाहक वाहनों के भारक्षमता के आधार पर विशेष टोकन जारी करते हुए शुल्क निर्धारित किया जाए । इस हेतु बिना अधिक भार पर समझौता किए वाहनों की भार क्षमता के अनुसार विशेष टोकन का शुल्क लागू किया जाएगा । इस व्यवस्था से जहां एक ओर निर्बाध रूप से मालवाही वाहनों का संचालन सम्भव होगा वहीं दूसरी ओर इस योजना के तहत शासन को 50 करोड़ रूपये का संभावित राजस्व अतिरिक्त रूप से प्राप्त हो सकेगा ।

12. वर्तमान में मेक्सीकेब श्रेणी के वाहनों को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का परमिट देने की व्यवस्था नहीं है । यात्रियों को और सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अब इस

श्रेणी के वाहनों को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश परमिट प्रदान किया जावेगा ताकि यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा । इस व्यवस्था से रूपये 60 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होना संभावित है ।

अध्यक्ष महोदय,

13. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से हमें अपेक्षा है कि अगले वर्ष लगभग 170 करोड़ रूपये अधिक आय होगी । शेष बचे घाटे की पूर्ति हम इस वर्ष कर के संग्रहण की अच्छी प्रगति को जारी रखते हुए, गैर आयोजना खर्च पर दृढ़ता से अंकुश लगाते हुए तथा मितव्ययिता के उपायों को निरन्तर रखते हुए, करेंगे।

14. अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत पिछले नौ बजटों की विकास यात्रा का मैं स्मरण करूं । बजट में मध्यप्रदेश का जन समुदाय हमारा केन्द्र बिन्दु रहा है तथा हर क्षेत्र में की गई हमारी पहल तथा विभिन्न योजनाओं की मंशा प्रदेश का तेज गति से विकास करने की रही है । लगभग दस वर्षो से हमारी सरकार को इस सदन का लगातार विश्वास प्राप्त हुआ है । यही कारण है कि मध्यप्रदेश अब उन प्रदेशों की श्रेणी में आ पाया है, जिनका वित्तीय प्रबंधन बेहतर है । विभिन्न क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है । यह इस कारण संभव हो पाया, क्योंकि हमारी सोच स्पष्ट थी तथा विकास के लिए हमने वित्तीय सुधार कार्यक्रम का दृढ़ता से पालन किया, भले ही यदाकदा हमें कठिनाई आयी । हमने आपके मार्गदर्शन से अपनी कर नीति का युक्तियुक्तकरण किया, सार्वजनिक उपक्रमों का सुधार किया तथा स्थापना व्यय नियंत्रित रखते हुए शासकीय कार्य की उत्पादकता बढ़ाई । इसके फलस्वरूप हम

पूंजी निर्माण एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक संसाधन जुटा पाए । विकास की यह यात्रा जारी रखते हुए हमें निरंतर एक सुखी, समृद्ध एवं स्वस्थ समाज की ओर बढ़ते ही रहना है । प्रदेश की जनता तथा आप सभी के सहयोग से अपनी वचनबद्धता को पूर्ण करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है ।

मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को हासिल करने में यह बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

है गुज़ारिश ज़माने से यही, प्रदेश में अमन की बरसात करें ।
न रहे कोई भूखा प्यासा, मिलकर ज़माने के ऐसे हालात करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्यय का उपस्थापन करता हूं ।

––ooo––